(7)

यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

ि.न.65 / 17

भागीरथराम (आरटीएस)

दिनांक 7.9.17

सरकार बनाम गंगादेवी

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिहंपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि ि कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 रकबा 12.50 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर गंगा देवी पत्नि मंगल राम जाति कंजर निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने पुख्ता मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के हत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । बाब पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य , सबूत पेश नहीं किये । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज वं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल गंगा देवी पत्नि मंगल राम जाति कंजर निवासी करवास द्वारा वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 / 12.50किस्म जमीन ी0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है तः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही हीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः गंगा देवी पत्नि मंगल राम जाति कंजर निवासी करवास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 / 12.50 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर तिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर पुख्ता मकान निमार्ण को ध्वस्त किया जाकर कर ौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.002का पचास गुणा 1रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व ाग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली ाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

15-18 क रा० ल०
उक्त संख्या 163 ... वर ... 26
... किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली